सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक –19.03.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोगों में 03 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 1271/15 (वाद संख्या – 3617/17) धारा 406/420/467/468/471 भादवि बनाम 1. करूणेस शर्मा पुत्र वीरेन्द्र शर्मा निवासी 6/1280 पुराना माधौनगर थाना नगर कोतवाली सहारनपुर जनपद सहारनपुर 2. रमनदीप उर्फ सन्नी पुत्र बृजेन्द्र सिंह फ्लैट न0 3 सेवक पार्क द्वारका रोड थाना द्वारका नई दिल्ली के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. करूणेश शर्मा 2. रमनदीप उपरोक्त को दोषी पाते हुये 06-06 वर्ष का कारावास एवं 13,500 -13,500 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – कोत0 कोंच में मु0अ0सं0 56/2000 (वाद संख्या – 1718/2002) धारा 279/337/338/427 भादवि बनाम बब्लू उर्फ सतेन्द्र सिंह सेंगर पुत्र प्रताप सिंह सेंगर निवासी ग्राम बंगरा थाना माधौगढ़ जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एजेएम कोंच जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त बब्लू उर्फ सतेन्द्र सिंह सेंगर उपरोक्त को दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।